न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद, जिला—बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सन्तोष कुमार बैरवा (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या :— 290 / 2007

सी0 आई0 एस0 संख्या :— 1099 / 2014

राज0 राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी।

बनाम

अमित मित्तल उर्फ गोविन्दा पुत्र भूपेन्द्र मित्तल, उम्र 30 वर्ष, जाति महाजन निवासी देवरीजोध हाल छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

अभियुक्त............

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं

धारा 134 / 187 एम.वी. एक्ट

उपस्थितिः—

1. राज्य की ओर से—सहायक अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्त की ओर से— श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।

:: निर्णय :: दिनांकः—23.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 07.08.2007 को परिवादी नफीस अहमद पुत्र वफातीशाह, जाति मुसलमान निवासी छीपाबडौद ने पुलिस थाना छीपाबडौद में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उस दिन दिनांक 07.08.2007 समय एक बजे दिन के करीब की बात है उसकी बच्ची सिमरन उम्र करीब 06 साल जो उसके मकान से रोड क्रोस करके दुकान पर सामान लेने जा रही थी कि एक मोटरसाईकिल सी डी 100 बजाज का चालक अमित मित्तल उर्फ गोविन्दा मोटरसाईकिल को काफी तेज गति से चलाता हुआ बस स्टैण्ड की तरफ से आया और बच्ची सिमरन के टक्कर मार दी। मौके पर वह तथा शमीम भाई, एजाज अली, इकरार थे, उन्होंने जाकर बच्ची सिमरन को उठाया वह बेहोश हो गई मोटरसाईकिल चालक अमित मित्तल मोटरसाईकिल को लेकर भाग गया। वह घबराहट में नम्बर नहीं देख सका अन्य किसी ने देखा होगा। वे बच्ची को लेकर अस्पताल पहुचे, वहॉ से बारां ले जा रहे थे कि रास्ते में ही बच्ची की मृत्यु हो गई। बच्ची की लाश रात्रि होने से घर पर रख रखी है.....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार थाना छीपाबड़ौद की ओर से मुकदमा नम्बर 181 / 2007 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान उक्त अभियुक्त अमित मित्तल के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134 / 187 एम.वी एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियुक्त अमित मित्तल को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं

134 / 187 एम.वी एक्ट के आरोप मौखिक सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोप को सुन समझ कर अस्वीकर कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू.01 मोहम्मद इकरार, पी.डब्ल्यू.02 नफीस अहमद, पी.डब्ल्यू.03 लक्ष्मणसिंह, पी.डब्ल्यू.04 विश्वेश्वर, पी.डब्ल्यू.05 मोहम्मद युसुफ, पी.डब्ल्यू.06 ऐजाजअली, पी.डब्ल्यू.07 दिनेश मेहरा, पी.डब्ल्यू.08 विमल प्रकाश, पी.डब्ल्यू.09 डॉ. सम्पत नागर, एवं पी.डब्ल्यू.10 चौथमल को पेश कर परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्द हालात नक्शा मौका प्रदर्श पी.01, फर्द तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.03, फर्द पंचायतनामा सिमरन प्रदर्श पी.04, फर्द सुपुर्दगीनामा मृतका सिमरन प्रदर्श पी.05, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.06, फर्द जप्ती मोटर साइकिल सी डी 100 प्रदर्श.पी.07, धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी.08, पुलिस बयान गवाह ऐजाज अली प्रदर्श पी.09, मृतका सिमरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 10 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया।

4. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये जहां उसने अभियोजन गवाहान के कथनों को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा लेकिन न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने पर सफाई साक्ष्य पेश नही की।

5. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह हैं कि क्या अभियुक्त अमित मित्तल ने दिनांक 07.08.2007 को समय करीब 01 बजे छीपाबडौद बस स्टेण्ड से हाट बाजार की तरफ जाने वाली आम सडक पर मोटरसाईकिल बजाज सीटी 100 नम्बर आरजे28 एस.बी. 5009 को राजमार्ग पर तेजगति एवं उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर परिवादी नफीस अहमद की बच्ची सिमरन उम्र 06 वर्ष को टक्कर मारकर उसका मानव जीवन संकटापन्न किया एवं इस दुर्घटना में परिवादी की पुत्री सिमरन की मृत्यु हो गई और अभियुक्त मजरूबा सिमरन को टककर मारने के पश्चात उसे ईलाज के लिए नही ले जाकर धारा 134 एमवी एक्ट के अधीन चालक के कर्तव्यों की पालना नहीं की। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 279, 304ए भादंसं एवं धारा 134 / 187 एम वी एक्ट का अपराध कारित किया? यदि हॉ तो समुचित दण्ड क्या हो?

7. दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित है और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि परिवादी व अन्य अभियोजन गवाहान उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। अभियोजन गवाहान के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

8. बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध मे अभियोजन की ओर से इस प्रकरण मे कुल 10 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। जिनमे से गवाह पी.डब्ल्यू.02 नफीस मोहम्मद इस प्रकरण का परिवादी है। परिवादी नफीस अहमद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि करीब 10—12 साल पहले की बात हैं। उसकी बच्ची सुबह 10—11 बजे के लगभग स्कूल से पढकर घर आ

रही थी। बच्ची का नाम सिमरन हैं। इसके बाद हल्की बारिश हुई। अमित कुमार बस स्टेण्ड की तरफ से मोटरसाईकिल लेकर आ रहा था। वह तेज गति से गाडी चला रहा था। बच्ची जैसे ही स्कूल से घर आने के लिए रोड पर आई तो वैसे ही अमित ने तेज गति से मोटरसाईकिल चलाते हुए बच्ची को टक्कर मार दी और भाग गया। मोटरसाईकिल की टक्कर से बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बच्ची को वे उपचार के लिए छबडा अस्पताल ले गये। वहां डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की स्थिति गम्भीर हैं, इसे बारां ले जाओ। फिर वे एम्बुलेन्स से बच्ची को बारां लाये। वहां डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची का छीपाबडौद अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। फिर अन्तिम संस्कार किया। उसने थाने में रिपोर्ट करायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2, चाक् एफआईआर प्रदर्श पी.3, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी.4 तथा फर्द सुपुर्दगी लाश पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.2 रिपोर्ट किसने लिखी यह उसे पता नही। उसकी बच्ची की मृत्यु के बाद उसकी मानसिक स्थिती ठीक नही थी। प्रदर्श पी.1 लगायत पी.5 पर उसने हस्ताक्षर कब कैसे किए यह उसे पता नही है। वह करीब 18 साल से फल का ठेला लगाने का कार्य करता है। वार त्योहार के अलावा वह ठेला लगाता है। जिस दिन बच्ची की घटना हुई उस दिन वार त्योहार नही था। बच्ची स्कूल से आधे दिन मे सुबह 11 बजे आ गई थी। पुलिस ने थाने मे रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, उस दिन पुछताछ की थी। उस दिन वाहनों की रेलमपेल नही थी बल्कि सुनसान रोड था। उस दिन इकरार उसे ठेले पर बुलाने नही गए। हल्की बारिस होने वाली बात एवं सिमरन को छीपाबडौद से छबडा व छबडा से बारां रैफर करने वाली बात पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 मे नही लिखी। पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 का ए से बी, सी से डी भाग गलत लिखा हुआ है। उसकी बच्ची स्कूल से घर आ रही थी। उसे एक्सीडेन्ट करने वाली मोटरसाईकिल के नम्बर पता नही है। मोटरसाईकिल अमित कुमार पुत्र भूपेन्द्र चला रहा था।

10. गवाह पी.डब्ल्यू.01 मो0 इकरार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि करीब 7—8 साल पहले की बात हैं। अमित मित्तल जो हनुमान चौराहा का रहने वाला हैं, वह आ रहा था। वह अपनी बाईक से बस स्टेण्ड की तरफ से हाट चौक की तरफ जा रहा था। गाडी तेज गति से चला रहा था। अस्पताल रोड पर ही मोटरसाईकिल से बच्ची को टक्कर लग गई, बच्ची खत्म हो गई। बच्ची रोड क्रॉस करके चीज लेने जा रही थी। फिर अमित मोटरसाईकिल लेकर भाग गया। वह व मोहल्ले के 1—2 व्यक्ति बच्ची को उठाकर अस्पताल सरकारी छीपाबडौद ले गये। वहां से छबडा रैफर कर दिया। वहां से भी बारां रैफर कर दिया। बारां जाते समय बच्ची खत्म हो गई। बारां अस्पताल पहुॅचे तो वहां डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची मर चुकी हैं। पुलिस ने उसके बयान लिये हो तो उसे ध्यान नही है। पुलिस मौके पर आई थी। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मोटर साइकिल का नम्बर याद नही है। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि उसने नक्शा मौका पर हस्ताक्षर कब किए, वह नही बता सकता। नक्शा मौका मे क्या लिखा है उसे पता नही। एक्सीडेन्ट की बात याद है। गाडी अमित मित्तल की थी। गाडी वही चला रहा था। प्लेटिना गाडी थी। वह आसम भाई की बॉडी पर बैठा हुआ था। भीडभाड मे बच्ची के कोई और टक्कर मारकर नही गया। जिस जगह बच्ची गिरी वह उससे आठ दस कदम की दूरी पर था। नफीस फल का ठेला लगाता है। वह नफीस को बुलाने नही गया।

11. गवाह पी.डब्ल्यू.03 लक्ष्मण सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2007 को वह थाना छीपाबडौद में एस.एच.ओ. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रार्थी नफीस अहमद ने थाने पर प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर उसने मु0नं0 181/07 पंजीबद्ध कर अनुसंधान चौथमल उपनिरीक्षक के सुपुर्द किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित हैं, ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। चाक् एफआईआर प्रदर्श पी.3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चौथमल उपनिरीक्षक ने अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली उसके समक्ष पेश की। उसने न्यायालय में अभियुक्त अमित मित्तल के विरूद्ध धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एम वी एक्ट में चालान पेश किया था। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि नफीस अहमद ने उसे पुरी घटना मौखिक रूप से नही सुनाई। तहरीरी रिपोर्ट पर नफीस के हस्ताक्षर है। साडे 11 बजे रात्रि को वह लेकर आया था। परिवादी से एफआईआर डिले के बारे मे गवाह ने नही पूछा।

12. गवाह पी.डब्ल्यू. 04 विश्वेश्वर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि वह दिनांक 21.08.2007 को थाना छीपबडौद पर चालक के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के मु0नं0 181/07 में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल बजाज सी. टी.100 आर.जे.28–एस.बी.–5007 बरंग काली जिस पर सिल्वर कलर की पट्टी लगी हुई थी, का मैकेनिक मुआयना किया गया। मोटरसाइकिल का स्टेयरिंग, क्लच, ब्रेक, सभी सिस्टम ठीक है मोटर साइकिल का ट्रांसमिशन सिस्टम, इलेक्टिक सिस्टम ठीक है तथा मोटरसाइकिल का हॉर्न ठीक है व्हील सिस्टम ठीक है। मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 हैं जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि मैकेनिक मुआयना करने के लिए जिला मुख्यालय पर एक ही मैकेनिक होता है। पत्रावली मे मैकेनिक मुआयना का अधिकार पत्र शामिल नही है। एसएचओ साहब ने मौखिक आदेश दिया था।

13. गवाह पी.डब्ल्यू. 05 मो0 युसुफ ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि फर्द पंचायतनामा लाश मृतका कुमारी सिमरन प्रदर्श पी.4 पर व फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका सिमरन प्रदर्श पी.5 पर क्रमशः सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.4 व पी.5 पर हस्ताक्षर कब किए यह गवाह को पता नही।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 06 ऐजाज अली ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि घटना करीब 08 साल पहले की हैं। बच्ची स्कूल से आ रही थी। बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी तो मोटरसाईकिल से टक्कर लग गई। बच्ची को अस्पताल में लेकर गये। लडकी वहां पर ही खत्म हो गई। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी.4 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। घटना उसके सामने हुई थी। पुलिस बयान गवाह प्रदर्श पी.9 सही है। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि घटना के दिन सिमरन के पिता ने ठेला लगा रखा था। घटना करने वाली मोटरसाइकिल का नम्बर उसे याद नही। अमित कुमार गाडी चला रहा था। मोटरसाइकिल बस स्टेण्ड से आ रही थी। घटना के 15 मिनट बाद वह मौके पर गया था। घटना उसकी दुकान के सामने हुई थी। चालक मोटरसाईकिल को सही दिशा मे लेकर नही जा रहा था। सिमरन दौडकर रोड पार कर रही थी। वह नफीस के कहे अनुसार बयान दे रहा है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 07 दिनेश मेहरा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि फर्द

जब्ती एक मोटरसाईकिल प्रदर्श पी.7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.7 पर पुलिस ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे।

16. गवाह पी.डब्ल्यू. 08 विमल प्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी.8 हैं जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.8 पर जब उसने हस्ताक्षर किए तब कागज खाली था।

17. गवाह पी.डब्ल्यू. 09 डॉ0 सम्पत नागर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि दिनांक 08.08.07 को वह एम.ओ., सी.एच.सी. छीपाबडौद के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना छीपाबडौद के प्रतिवेदन पर मृतका सिमरन के शव का परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 बनाई थी जो उसकी कलमी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 पर ए से बी मृत्यु का कारण और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिसकी चोटे संख्या 1 नीलगू निशान दांयी पसलियो ंके नीचे चोट संख्या 2 दांयी तरफ की पसलियो मे फलेक्सिबिलिटी थी। चोट संख्या.3 दायी तरफ की निचली चार पसलियां टूटी हुई थी। चोट संख्या.4 उक्त पसलियां के टूटने से उसका लीवर फट गया था जो लिवर का दाहिना भाग कटा था एवं चोट संख्या 5 पेट की केविटी में ब्लड भरा हुआ था। सिमरन की मृत्यु का कारण हेमरिजक शोक था जो लीवर के दांयी लोथ के फटने के कारण हुऐ रक्तस्त्राव से हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 है जिस पर ए से बी मृत्यु का कारण है और सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि पोस्टमार्टम स्वयं उसके द्वारा किया गया था, किसी अन्य के द्वारा नही।

18. गवाह पी.डब्ल्यू.10 चौथमल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया हैं कि दिनांक 07.08.2007 को वह थाना छीपाबडौद पर सब—इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। उस दिन एस.एच.ओ. साहब लक्ष्मण सिंह ने एफ.आई.आर. नं0 181/07 धारा 279, 304—ए भारतीय दण्ड संहिता की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की। उसने मृतका कुमारी सिमरन का पोस्ट मार्टम करवाया जो प्रदर्श पी.10 हैं जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। मृतका का पंचायतनामा तैयार किया जो प्रदर्श पी.4 हैं जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सुपुर्दगीनामा मृतका सिमरन का बनाया जो प्रदर्श पी.5 हैं जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 पर ई से एफ दो जगह उसके हस्ताक्षर हैं। बयान नफीस अहमद, शफीक भाई, ऐजाज अली, मोहम्मद इकरार के कथनानुसर लेखबद्ध किये। मोटरसाईकिल सी.टी.100 आर. जे. 28—एस.बी.—5007 जब्त की जो प्रदर्श पी.7 हैं जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन मालिक विमल कुमार को 138 एम.वी.एक्ट का नोटिस दिया। दुर्घटना के वक्त वाहन चालक का नाम पूछा तो खुद का नाम होना बताया। 133 एम.वी.एक्ट को नोटिस प्रदर्श पी.8 हैं जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा ए से बी वाहन मालिक का जवाब हैं। मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 हैं। मुलजिम के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ साहब को सुपुर्द की। जिरह मे गवाह ने कथन किया है कि विश्वेश्वर के मैकेनिक होने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। मैकेनिक मुआयने की तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रदर्श पी.8 पर सी से डी इबारत किसने लिखी गवाह को पता नही है। इबारत उसकी उपस्थिती मे लिखी थी। उसने धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस नही दिया। उसने नक्शा मौका बनाते समय आसपास के दुकानदारों से बात की थी। फर्द शिनाख्तगी नही बनाई।

19. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में जहॉ तक अभियुक्त अमित मित्तल का उक्त दुर्घटना के समय उक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटरसाईकिल का चालक होने का प्रश्न है, इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि परिवादी नफीस अहमद ने अपने बयानों में घटना के दिन उसकी लडकी सिमरन के स्कुल से पढकर घर आते समय अभियुक्त अमित कुमार द्वारा बस स्टेण्ड की तरफ से मोटरसाईकिल को तेजगति से चलाकर लाते समय बच्ची को टक्कर मारकर भागना बताया है। जिरह मे भी गवाह ने कोई विपरित कथन नही करते हुए अभियुक्त अमित कुमार पुत्र भूपेन्द्र द्वारा ही मोटरसाईकिल चलाकर एक्सीडेन्ट करना जाहिर किया है। इस प्रकार परिवादी ने अपनी साक्ष्य मे अभियुक्त अमित कुमार की स्पष्ट रूप से पहचान की है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने उक्त प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 थाने पर लिखाना बताते हुए उक्त तहरीरी रिपोर्ट का पुर्णतः समर्थन किया है। उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 मे भी उक्त अभियुक्त अमित कुमार द्वारा दुर्घटना कारित करना अंकित करते हुए अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तहरीरी रिपोर्ट मे अंकित कथनों एवं परिवादी द्वारा अपने बयानों मे किए गए कथनों मे कोई तात्विक विरोधाभास दर्शित नही होता है। इसके अतिरिक्त उक्त तहरीरी रिपोर्ट मे परिवादी द्वारा घटना के समय मौके पर उपस्थित होना अंकित किया है। ऐसी स्थिती मे उक्त परिवादी उक्त घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना प्रकट होता है। यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त ने घटना के दिन परिवादी द्वारा ठेला लगाना एवं मौके पर उपस्थित नही होना बताया है परन्तु परिवादी नफीस अहमद ने जिरह मे उसकी मौके पर उपस्थिती के सम्बन्ध मे कोई विपरित कथन नही किया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त ने अन्य अभियोजन गवाहान मोहम्मद इकरार एवं ऐजाज अली से भी जिरह मे उनके द्वारा परिवादी को मौके पर बुलाकर लाने के सम्बन्ध मे प्रश्न पुछा है परन्तु उक्त दोनो गवाहान मे से किसी भी गवाह ने परिवादी को बुलाकर लाने से इनकार किया है। ऐसी स्थिती मे परिवादी सहित कोई भी गवाह अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव का समर्थन नही करता है कि परिवादी दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित नही हो। इसके अतिरिक्त तहरीरी रिपोर्ट मे परिवादी का दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित होना अंकित है। ऐसी स्थिती मे परिवादी उक्त दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना प्रकट होता है एवं परिवादी की साक्ष्य से दुर्घटना के समय अभियुक्त अमित कुमार द्वारा मोटरसाइकिल चलाकर परिवादी की पुत्री सिमरन को टक्कर मारना दर्शित होता है। यद्यपि परिवादी नफीस अहमद ने अपने बयानों मे मोटरसाइकिल का नम्बर नही बताया है। ऐसी स्थिती मे परिवादी की साक्ष्य से दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल के नम्बर स्पष्ट नही होते है। इसके अतिरिक्त उक्त तहरीरी रिपोर्ट मे दुर्घटना के समय परिवादी सहित समीम भाई, ऐजाज अली और इकरार का मौके पर उपस्थित होना अंकित है। ऐसी स्थिती मे उक्त गवाहान भी उक्त दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रतीत होते है।

20. उक्त गवाहान मे से समीम भाई की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू.01 मोहम्मद इकरार ने भी न्यायालय मे दिए अपने बयानों मे अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से बस स्टेण्ड से हाट चौक की तरफ जाते समय मोटरसाइकिल को तेजगति से चलाकर अस्पताल रोड पर मोटरसाइकिल से बच्ची को टक्कर मारना और अमित द्वारा मोटरसाइकिल लेकर भाग जाना जाहिर किया है। इस प्रकार उक्त गवाह इकरार ने भी अभियोजन कहानी एवं तहरीरी रिपोर्ट मे वर्णित कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्त अमित

कुमार द्वारा मोटरसाईकिल से उक्त दुर्घटना कारित किया जाना बताया है। यद्यपि जिरह मे उक्त गवाह ने दुर्घटना के समय आसम भाई की बॉडी पर बैठना स्वीकार किया है और इस सम्बन्ध मे विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि नक्शा मौका मे आसम भाई की बॉडी नामक कोई स्थान है ही नही, ऐसी स्थिती मे उक्त गवाह इकरार दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। इस सम्बन्ध मे पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी0.1 मे आसम भाई की बॉडी नामक कोई स्थान अंकित नही है परन्तु उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 मे ही गवाह इकरार का सरीफ की टायर की दुकान पर बैठा होना अंकित है जो दुर्घटना स्थल से करीब चालीस फीट दुर है। इस प्रकार उक्त नक्शा मौका मे भी गवाह इकरार का दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित होना अंकित है एवं जिरह मे उक्त गवाह इकरार ने भी दुर्घटना के समय जहां लडकी गिरी उस जगह से आठ दस कदम की दूरी पर ही उपस्थित होना बताते हुए अभियुक्त अमित कुमार द्वारा ही मोटरसाइकिल से ही उक्त दुर्घटना कारित किया जाना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त तहरीरी रिपोर्ट मे भी उक्त गवाह इकरार का दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित होना अंकित है एवं स्वयं गवाह इकरार ने भी अपने बयानो मे दुर्घटना के समय मजरूबा सिमरन को अस्पताल ले जाना जाहिर किया है। जिसका खण्डन अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से नही किया गया है। ऐसी स्थिती मे गवाह इकरार के कथनों की पुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 से भी होती है एवं नक्शा मौका मे केवल मात्र आसम भाई की बॉडी अंकित नही होने मात्र से उक्त गवाह इकरार की मौके पर उपस्थिती संदिग्ध नही होती है एवं उक्त गवाह इकरार की साक्ष्य से अभियुक्त अमित मित्तल की पहचान स्पष्ट रूप से दर्शित होती है। साथ ही उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा मोटरसाइकिल से मजरूबा सिमरन को टक्कर मारना दर्शित होता है।

21. उक्त गवाहान के अतिरिक्त उक्त तहरीरी रिपोर्ट मे गवाह ऐजाज अली का भी उक्त दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित होना अंकित है। उक्त गवाह ऐजाज अली ने गवाह पी.डब्ल्यू.06 के रूप मे न्यायालय मे परीक्षित होकर दुर्घटना उसके सामने होना जाहिर करते हुए दुर्घटना के समय बच्ची के रोड क्रॉस करते समय उसके मोटरसाइकिल से टक्कर लगना बताया है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ऐजाज अली ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.9 को भी सही होना स्वीकार किया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी.9 मे उक्त गवाह ऐजाज अली ने अभियुक्त अमित मित्तल उर्फ गोविन्दा द्वारा गफलत व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए मजरूबा सिमरन के टक्कर मारना एवं उक्त दुर्घटना मे मजरूबा सिमरन की मृत्यु होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ऐजाज अली भी तहरीरी रिपोर्ट व परिवादी के कथनों का समर्थन करता है। इस सम्बन्ध मे विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि जिरह मे उक्त गवाह ऐजाज अली ने दुर्घटना के 15 मिनट बाद मौके पर आना स्वीकार किया है ऐसी स्थिती मे उक्त गवाह उक्त दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। इस सम्बन्ध मे पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त गवाह ऐजाज अली ने उक्त दुर्घटना उसके सामने होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने जिरह मे भी घटना के करीब 15 मिनट बाद मौके पर आना स्वीकार किया है परन्तु साथ ही उक्त गवाह ने उक्त दुर्घटना उसके सामने होना बताते हुए उसकी दुकान के सामने उक्त दुर्घटना घटित होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 मे भी उक्त घटनास्थल के पास गवाह ऐजाज अली की किराने की दुकान होना एवं उसके द्वारा दुर्घटना देखना एवं दुर्घटना स्थल से

100 फीट दुर उसकी दुकान होना अंकित है। इस प्रकार उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 से भी उक्त गवाह ऐजाज अली का घटनास्थल से करीब 100 फीट दुर अपनी दुकान पर मौजूद होना एवं दुघ र्टना देखना दर्शित होता है। दुर्घटना के समय गवाह ऐजाज अली की उसकी दुकान पर उपस्थिती का तथ्य अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से खण्डित नही किया गया है। ऐसी स्थिती मे उक्त गवाह ऐजाज अली द्वारा दुर्घटना स्थल पर स्थित उसकी दुकान से उक्त दुर्घटना देखा जाना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। ऐसी स्थिती मे केवल मात्र उक्त गवाह ऐजाज अली द्वारा जिरह मे दुर्घटना के 15 मिनट बाद मौके पर आना जाहिर किए जाने से यह नही माना जा सकता है कि उक्त गवाह ने उक्त दुर्घटना नही देखी हो अथवा उक्त गवाह उक्त दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही हो। ऐसी स्थिती मे अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नही है एवं उक्त गवाह ऐजाज अली का उक्त दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना स्पष्ट होता है एवं उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा ही दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल से मजरूबा सिमरन को टक्कर मारना दर्शित होता है।

22. इस सम्बन्ध मे विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह भी तर्क दिया है कि अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू.10 चौथमल ने यह कथन किया है कि वाहन मालिक से दुर्घटना के वक्त वाहन चालक का नाम पूछा तो खुद का नाम होना बताया। ऐसी स्थिती मे स्वयं अनुसंधान अधिकारी के अनुसार उक्त दुर्घटना उक्त अभियुक्त अमित मित्तल से भिन्न व्यक्ति द्वारा कारित की गई है। इस सम्बन्ध मे उक्त अनुसंधान अधिकारी गवाह चौथमल की साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयानों मे यह कथन किया है कि वाहन मालिक विमल कुमार को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया। दुर्घटना के वक्त वाहन चालक का नाम पूछा तो खुद का नाम होना बताया। नोटिस प्रदर्श पी.8 पर वाहन मालिक का जवाब व हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार उक्त अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य मे यद्यपि यह कथन किया है कि दुर्घटना के वक्त वाहन मालिक से चालक का नाम पूछा तो खुद का नाम होना बताया परन्तु उक्त अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त अमित के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया है। इसके अतिरिक्त नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी.8 पर अभियुक्त अमित का नाम अंकित है। यद्यपि वाहन मालिक गवाह पी.डब्ल्यू.08 विमल प्रकाश ने उक्त नोटिस प्रदर्श पी.8 पर हस्ताक्षर करते समय उसका खाली कागज होना बताते हुए उक्त नोटिस 133 एमवी एक्ट के जवाब का समर्थन नही किया है परन्तु उक्त गवाह विमल प्रकाश ने कही भी अपने बयानो मे अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना अथवा दुर्घटना के समय वाहन चलाया जाना न्यायालय मे दिए अपने बयानों मे जाहिर नही किया है। ऐसी स्थिती मे उक्त वाहन मालिक विमल प्रकाश की साक्ष्य से भी अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उक्त वाहन चलाया जाना दर्शित नहीं होता हैं ऐसी स्थिती मे विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क मे कोई विशेष बल दर्शित नही होने से उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नही माना जा सकता है।

23. इस प्रकार उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, परिवादी नफीस अहमद एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण गवाह इकरार व ऐजाज अली की स्पष्ट एवं एकमत साक्ष्य से दुर्घटना के समय अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा ही मोटरसाईकिल से मजरूबा सिमरन को टक्कर मारकर उक्त दुर्घटना कारित किया जाना पर्याप्त रूप से साबित होता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण मे तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का समर्थन परिवादी नफीस अहमद व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने किया है। जिनकी साक्ष्य एवं

तहरीरी रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों मे कोई तात्विक विरोधाभास दर्शित नही होता है। यद्यपि परिवादी सहित किसी भी गवाह ने टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के नम्बर जाहिर नही किए है परन्तु उक्त तहरीरी रिपोर्ट मे बजाज सी टी 100 द्वारा उक्त दुर्घटना कारित किया जाना अंकित किया गया है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी उक्त प्रकरण मे बजाज सी टी 100 मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 28 एसबी 5009 को जब्त किया गया है एवं अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित माना है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उक्त जब्तशुदा वाहन के उक्त दुर्घटना मे संलिप्त नही होने के सम्बन्ध मे कोई विपरित तथ्य अथवा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिती मे उक्त दुर्घटना के समय अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा उक्त मोटरसाइकिल बजाज सी टी 100 नम्बर आरजे 28 एसबी 5009 से मजरूबा सिमरन को टक्कर मारकर उक्त दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य पर्याप्त रूप से साबित पाया जाता है।

24. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा उक्त मोटरसाइकिल बजाज सी टी 100 नम्बर आरजे 28 एसबी 5009 से मजरूबा सिमरन को टक्कर मारकर उक्त दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य पर्याप्त रूप से साबित पाया गया है। जहां तक उक्त अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा अथवा लापरवाही से चलाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी नफीस अहमद सहित उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण इकरार व ऐजाज अली ने एकमत से अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा तेजगति एवं उपेक्षा व लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर उक्त मजरूबा सिमरन को टक्कर मारना बताया है जिनकी साक्ष्य मे कोई विरोधाभास दर्शित नही होता है। ऐसी स्थिती मे उक्त तीनो गवाहान की साक्ष्य से दुर्घटना के समय उक्त अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल को तेजगति एवं उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जाना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 मे अंकित डी और डी1 बिन्दु से उक्त अभियुक्त द्वारा गलत साईड मे वाहन चलाया जाना दर्शित होता है। इससे भी अभियुक्त की मोटरसाईकिल चलाते समय उपेक्षा व लापरवाही दर्शित होती है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण मे मैकेनिक मुआयना के गवाह विश्वेश्वर की साक्ष्य एवं मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 से उक्त मोटरसाईकिल के सभी सिस्टम ठीक होने का तथ्य दर्शित होता है। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि यदि वाहन चालक अभियुक्त द्वारा वाहन चलाते समय सावधानी बरती जाती तो उक्त दुर्घटना रोकी जा सकती थी। जिससे भी अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से वाहन चलाया जाना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण मे उक्त दुर्घटनास्थल मुख्य बाजार का मुख्य रास्ता है एवं मजरूबा सिमरन एक 6 वर्ष की छोटी बालिका थी। छोटे बालकों के सम्बन्ध मे वाहन चालकों से विशेष सावधानी से वाहन चलाने की अपेक्षा की जाती है परन्तु वर्तमान प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा उक्त दुर्घटना के समय कोई सावधानी बरता जाना जाहिर नही किया गया है। ऐसी स्थिती मे उक्त अभियुक्त द्वारा उक्त दुर्घटना के समय उक्त वाहन मोटरसाईकिल को तेजगति व उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित किया जाना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त परिवादी सहित अन्य अभियोजन गवाहान व चिकित्सकीय साक्षी डॉ. सम्पत नागर की साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 से उक्त प्रकरण मे उक्त दुर्घटना मे कारित चोटों से मजरूबा सिमरन की मृत्यु होना स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त धारा 134 एमवी एक्ट मे वाहन चालक पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि जहां किसी दुर्घटना मे किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो वहां चालक उसे चिकित्सकीय उपचार प्रदान कराने का प्रयास

करेगा परन्तु वर्तमान प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा मजरूबा सिमरन को किसी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कराने हेतू कोई प्रयास किया जाना न तो अभियुक्त ने जाहिर किया है और ना ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित होता है। ऐसी स्थिती मे अभियुक्त द्वारा धारा 134 एमवी एक्ट के दायित्व की पालना नही किया जाना दर्शित होता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरण मे उक्त अभियुक्त अमित मित्तल द्वारा मोटरसाइकिल बजाज सी टी 100 नम्बर आरजे 28 एसबी 5009 को तेजगति एवं उपेक्षा व लापरवाही से राजमार्ग पर चलाकर मजरूबा सिमरन को टक्कर मारकर उक्त दुर्घटना कारित किए जाने एवं उक्त दुर्घटना मे कारित चोटों से मजरूबा सिमरन की मृत्यु होने तथा उक्त दुर्घटना के पश्चात अभियुक्त द्वारा धारा 134 एमवी एक्ट के दायित्व की अनुपालना नही किए जाने का तथ्य पर्याप्त रूप से साबित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अमित मित्तल को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एम.वी. एक्ट के आरोपो मे दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>:: आदेश ::</u>

26. अतः अभियुक्त अमित मित्तल उर्फ गोविन्दा पुत्र भूपेन्द्र मित्तल, उम्र 30 वर्ष, जाति महाजन निवासी देवरीजोध हाल छीपाबडौद जिला बारां (राज0) को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एम.वी. एक्ट के अपराध के आरोपो मे दोषसिद्ध किया जाता है।

(सन्तोष कुमार बैरवा)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छीपाबडौद, जिला बारां (राज.)

27. सज़ा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध हैं। अभियुक्त करीब 11 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्वि बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाने का निवेदन किया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति व्यक्त करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड़ से दण्ड़ित किए जाने का निवेदन किया।

28. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उक्त अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलबध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त करीब 2007 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है परन्तु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल को तेजगति एवं उपेक्षा व लापरवाही से राजमार्ग पर चलाकर मजरूबा सिमरन को टक्कर मारने एवं उक्त दुर्घटना मे कारित चोटों से मजरूबा सिमरन की मृत्यु होने का अत्यंत गम्भीर प्रकृति का आरोप है। इसके अतिरिक्त मजरूबा सिमरन की घटना के समय आयु मात्र 6 वर्ष होना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप मे परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिती में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ नही दिया जाकर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

29. अतः अभियुक्त अमित मित्तल उर्फ गोविन्दा पुत्र भूपेन्द्र मित्तल, उम्र 30 वर्ष, जाति महाजन निवासी देवरीजोध हाल छीपाबडौद जिला बारां (राज0) को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एम.वी. एक्ट के अपराध के आरोपो मे दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर उक्त अभियुक्त को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500 रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये अर्थदण्ड़ सें दण्ड़ित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड़ अभियुक्त 7 दिवस का साधारण कारावास पृथक सें भुगतेंगा। उक्त अभियुक्त को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये अर्थदण्ड़ सें दण्ड़ित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड़ अभियुक्त 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक सें भुगतेंगा। उक्त अभियुक्त को धारा 134/187 एम.वी. एक्ट के आरोप में एक माह के साधारण कारावास एवं 100 रूपये अक्षरे एक सौ रूपये अर्थदण्ड़ सें दण्ड़ित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड़ अभियुक्त 5 दिवस का साधारण कारावास पृथक सें भुगतेंगा। उपरोक्त सभी मूल सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा अथवा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि मूल सजा में से नियमानुसार समायोजित की जावे। आदेशानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे। उक्त अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिती बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है। धारा 437ए दंप्रसं के अधीन जमानत मुचलके नियमानुसार प्रभावी रहेंगे। वर्तमान प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है जो सुपुर्दगीदार के पास रहे एवं बाद गुजरने मियाद अपील उक्त जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा निरस्त समझे जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(सन्तोष कुमार बैरवा)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छीपाबडौद, जिला बारां(राज.)

30. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार बैरवा)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छीपाबडौद, जिला बारां(राज.)